

**कार्यालय आदे**

गृह विभाग,बिहार सरकार द्वारा जारी ज्ञापन सं-G/Disaster-06-02/2020-3835 दिनांक 04.05.2021 के अनुसरण में और मुख्यालय द्वारा जारी पत्र सं:-192-Estate/II-2020 दिनांक 19.04.2021 के दिशानिर्देशों के आलोक में ,कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),बिहार,पटना दिनांक 05/05/2021 से 15/05/2021 तक बंद रहेगा।

इस संदर्भ में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं-

- 1.सभी अधिकारी/कार्मिक इस अवधि में 'वर्क फ्रॉम होम' के तहत काम करेंगे।इस सम्बंध में शाखा अधिकारियों,वरीय लेखापरीक्षा अधिकारियों और अनुभाग प्रमुखों को पुनः यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थों को कार्य आवंटित करें और इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करें।
- 2.कोई भी कार्यालयीन कार्य जो महत्वपूर्ण प्रकृति का हो ,उसे उपमहालेखाकार /महालेखाकार के संज्ञान में लाया जाए और आवश्यक कार्रवाई सम्पन्न की जाए।
- 3.प्रशिक्षण एवं परीक्षा अनुभाग द्वारा कराए जा रहे ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते रहेंगे।
- 4.केयरटेकिंग स्टाफ,हाउस कीपिंग और सिक्युरिटी स्टाफ कार्यालय परिसर में अवश्य सेवाओं यथा स्वच्छता और साफ-सफाई के कार्यों को सम्पूर्ण रूप से संपादित करेंगे और इसकी सम्पूर्ण निगरानी करेंगे
- 5.जो भी अधिकारी/कार्मिक जो घर से काम कर रहे हैं वे सदैव टेलीफोन पर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों पर अपनी उपलब्धता बनाये रखेंगे।कोई भी कार्मिक/अधिकारी को जरूरत पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकता है।
- 6.कोई भी अधिकारी/कार्मिक सक्षम प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बगैर मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे
- 7.सभी अधिकारी/कार्मिक COVID APPROPRIATE BEHAVIOUR का कड़ाई से पालन करेंगे।

यह महालेखाकार के अनुमोदन द्वारा जारी है ।

NO.-Estt.(AU)/COVID-19/21-22/44-45

:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रतिलिपि प्रेषित:-

ह/-

उपमहालेखाकार(प्रशासन)

1.अपर नियंत्रक एवम महालेखापरीक्षक(पूर्वी क्षेत्र)

भारत के नियंत्रक एवम महालेखापरीक्षक का कार्यालय

9,दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,नई दिल्ली-110124

2.महानिदेशक (मुख्यालय)

भारत के नियंत्रक एवम महालेखापरीक्षक का कार्यालय

9,दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,नई दिल्ली-110124

3.महालेखाकार (लेखापरीक्षा),बिहार ,पटना के सचिव

4.सभी ग्रुप ऑफिसर्स के सचिवालय

5.उपनिदेशक /केंद्रीय प्रक्षेत्र का सचिवालय

6.सभी नियंत्री एएमजी/अनुभागों के वरीय लेखापरीक्षा अधिकार

7.वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी /एएमएस को कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

8.कार्यालय आदेश की संचिका

9.नोटिस बोर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप।